50 भारतीय वस्तुएँ अमेरिकी ड्यूटी फ्री लिस्ट से बाहर (US Duty Free List)

हाल ही में अमेरिका ने विदेशों से आयात होने वाले उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रविष्टि अथवा ड्यूटी फ्री लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब इन वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क वसूल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने जिन उत्पादों को ड्यूटी फ्री लिस्ट की श्रेणी से बाहर रखा है, उनमें भारतीय उत्पाद भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- ❖ अमेरिका ने विदेशों से आयात होने वाले 90 उत्पादों को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) के शुल्क मुक्त प्रावधानों के अंतर्गत ड्यूटी फ्री लिस्ट की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इन उत्पादों में 50 भारतीय उत्पाद भी शामिल हैं।
- ❖ अर्जेंटीना, ब्राजील, थाईलैंड, सूरीनाम, पाकिस्तान, तुर्की, फिलीपींस, इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों के उत्पादों को भी GSP सूची से बाहर कर दिया गया है।
- ❖ अमेरिका के नए फैसले के अनुसार, ये उत्पाद GSP प्रोग्राम के तहत शुल्क मुक्त प्रावधान अथवा ड्यूटी फ्री प्रेफरेंस के योग्य नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन की शुल्क दरों के साथ इनका आयात किया जा सकता है।
- ❖ अमेरिका का यह नया फैसला 1 नवंबर, 2018 से लागू हो गया है।

भारत पर असर

- ◆ शुल्क मुक्त सूची से बाहर हुए 90 सामानों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन का नया फैसला देश आधारित नहीं, बल्कि वस्तु आधारित है।
- ◆ चूँकि भारत अमेरिका के ळैच कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, इसलिये इस नए फैसले का सबसे अधिक असर भारत पर ही पड़ेगा।
- ◆ 2017 में (GSP के तहत) भारत द्वारा अमेरिका को 5.6 बिलियन डॉलर से अधिक का ड्यूटी फ्री निर्यात किया गया।
- ◆ ट्रम्प प्रशासन के नवीनतम कदम का अमेरिका में भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन उन उत्पादों की सूची जिन्हें ड्यूटी फ्री प्रावधान की श्रेणी से हटा दिया गया है, दर्शाती है कि इससे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय जैसे – हैंडलूम तथा कृषि क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

GSP क्या है?

- ➢ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अर्थात् GSP अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक वरीयता कार्यक्रम (U.S -Trade Preference Programme) है।
- ➢ इसे लक्षित लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री लिस्ट की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये लाया गया था।

8 सालों में 461 हाथियों की मृत्यु (461 Elephants electrocuted in 8 years)

अगस्त से अक्तूबर 2018 के बीच भारत के पूर्वी और उत्तर–पूर्वी हिस्से में बिजली के तारों के संपर्क में आने के कारण एक दर्जन से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई। इनमें से 7 हाथियों की मृत्यु ओडिशा के ढेंकनाल जिले में हुई। ऐसे समय में जब मानव–हाथी संघर्ष नीति–निर्माताओं और

- ❖ इस यंत्र को शहरों में चलने वाली बसों की छतों पर लगाया जाएगा जिसमें एक फिल्टर लगा होगा। फिल्टर में प्रवेश करने वाली हवा बस के चलने पर सूक्ष्म कणों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है।

- ❖ इस पायलट परियोजना के तहत 30 बसों की छतों पर ये उपकरण लगाए गए हैं।

पोलैंड जलवायु वार्ता (Poland climate talk)

आगामी दिसंबर माह में पोलैंड के झंजवूपबम में आयोजित होने वाली जलवायु वार्ता से पहले, भारत, LMDC यानी 'लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज' (भारत, चीन, वेनेजुएला और ईरान) और बेसिक (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के साथ दो महत्त्वपूर्ण बैठकें आयोजित कर रहा है। ये दोनों समूह, विश्व के समक्ष विकासशील देशों की चिंताओं को मजबूती के साथ प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाते है। 1 नवंबर, 2018 को LMDC के साथ पहली बैठक आयोजित की गई।

190 देश

- ❖ सीओपी (Conference of Parties-COP), संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCC) के हस्ताक्षरकर्ता देशों (कम–से–कम 190 देशों) का एक समूह है, जो हर साल जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के उपायों पर चर्चा करने के लिये बैठक आयोजित करता है।

- ❖ कुछ समय पहले 'द हिंदू' नामक समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि भारत चीन सहित कम–से–कम 40 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है।

- ❖ इसका उद्देश्य एक मजबूत गठबंधन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये पर्याप्त वित्त एवं प्रौद्योगिकी प्रदान करने के विकसित देशों के वादे को पूरा करने के लिये दबाव डालना है।

ये दोनों बैठकें कितनी महत्त्वपूर्ण हैं?

- ◆ ये दोनों बैठकें काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इन बैठकों का मूल उद्देश्य वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते को वर्ष 2020 में उसके सही प्रारूप में लागू करने हेतु एक आम मोर्चा तैयार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा।

नीति आयोग–विकास अनुसंधान केंद्र

1 नवंबर, 2018 को मुंबई में नीति आयोग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राज्य परिषद विकास अनुसंधान केंद्र (DRC) के मध्य्य चौथी वार्ता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य हुई बैठक के बाद भारत और चीन के बीच होने वाली यह दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता है।

प्रमुख बिंदु

- ❖ नीति आयोग–DRC वार्ता दोनों देशों के मध्य्य सतत् बौद्धिक भागीदारी के लिये एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है जिसमें भारत–चीन आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग हेतु विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त जानकारी मदद करती है।

- ❖ इस वार्ता के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और दोनों देशों में वृहद आर्थिक नीतियों, नवाचार और आर्थिक बदलाव, भारत एव चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर कई सत्रों का आयोजन किया गया।

- ❖ दोनों पक्षों ने व्यापार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जाँच करने और निवेश में मदद करने के लिये उन्नत नीति समन्वय की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

- ❖ दोनों देशों बीच आयोजित इस वार्ता में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि नीति आयोग और DRC विश्व व्यापार संगठन (WTO) संबंधी सुधारों, शहरीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की दिशा में कार्य करेंगे।

- ❖ नीति–DRC वार्ता का पाँचवाँ संस्करण नवंबर, 2019 में चीन के वुहान में आयोजित किया जाएगा।

1. ऋणों तक पहुँच
2. बाजार तक पहुँच
3. तकनीकी उन्नयन
4. कारोबार में सुगमता
5. कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना

- उपरोक्त घोषणाओं के माध्यम से इन पाँचों क्षेत्रों के लिये उपयुक्त समाधान प्राप्त हो सकेगा।

MSMEs सेक्टर के कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा

- इस कार्यक्रम के तहत MSMEs सेक्टर के कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये एक मिशन शुरू किया जाएगा कि उन्हें जन–धन खाता, भविष्य निधि और बीमा उपलब्ध हो।

चीन ने हटाया वन्यजीवों के व्यापार से प्रतिबंध (China Lifts Ban on Trade of Tiger Bones and Rhino Horns)

हाल ही में चीन ने बाघ की हड्डियों और गैंडे के सींग के वैज्ञानिक और चिकित्सा उपयोग पर लगाए गए 25 वर्षीय प्रतिबंध को हटा लिया है।

प्रमुख बिंदु

- संरक्षणवादियों के मुताबिक, इस प्रतिबंध को हटाने का परिणाम लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये विश्व स्तर पर विनाशकारी होगा।
- उल्लेखनीय है कि पारंपरिक चीनी दवा (TCM) में बाघ की हड्डी और गैंडे के सींग का उपयोग किया जाता है और इस दवा को अनिद्रा तथा गठिया के इलाज के लिये उपयोग किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- बाघ के हिस्सों को आधिकारिक TCM फार्माकोपिया, जो कि चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक सूची है, से हटा दिया गया, जब देश ने पहली बार वर्ष 1993 में बाघ के शरीर के विभिन्न हिस्सों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- वर्ष 2010 में बीजिंग में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर–लाभकारी चीनी चिकित्सा सोसाइटीज के विश्व फेडरेशन ने अपने सदस्यों से बाघ के हिस्सों या अन्य लुप्तप्राय वन्यजीवों के हिस्सों का उपयोग रोकने आग्रह किया।
- चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन के दौरान, वन्यजीवन और प्राकृतिक संसाधनों के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के रूप में प्रदर्शित करने की मांग की।
- वर्ष 2016 में, चीन ने हाथीदाँत की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि गले के कैंसर के इलाज के लिये हाथी के शिकार किये जाने की घटनाएँ शिकार बढ़ गई थीं।
- हालाँकि, इस अधिक कठोर नियम से चीनी सरकार दवा निर्माता कम्पनियाँ के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- इसके अलावा, उच्च जीवन स्तर हेतु पशु भागों की चीनी मांग में वृद्धि हुई है, जो उनकी जीवन–विस्तारित शक्तियों के लिये मूल्यवान है।

भारत की चिंता

- असम में अधिकारी और वन्यजीव संरक्षणवादी राज्य के एक सींग वाले गैंडों पर हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं क्योंकि चीन ने गैंडे के सींग और बाघ की हड्डी के उत्पादों के उपयोग और व्यापार पर 25 वर्षीय प्रतिबंध हटा लिया है।
- नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या

और तत्काल कार्रवाई करने' की दिशा में प्रगति के संकेतक के रूप में इसे अपनाया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- ❖ रिपोर्ट के इस संस्करण में मृदा जैव विविधता का खंड नया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मृदा जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड्स का गायब होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।

- ❖ इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आवास का ह्रास या कमी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक प्रजातियों से होने वाले खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

जनसंख्या में कमी (1970–2014)

- ❖ जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि रूपांतरण की अतिवृद्धि है।

- ❖ कशेरुकी (vertebrate) जानवरों की संख्या में 60 प्रतिशत की गिरावट।

- ❖ ताजे पानी के जीवों की आबादी में 80 प्रतिशत गिरावट।

- ❖ लैटिन अमेरिका में 90 प्रतिशत वन्यजीवन की क्षति।

विलुप्त होती प्रजातियाँ

- ★ 1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचर और सरीसृपों की आबादी में औसतन 60 प्रतिशत की कमी हुई है और इसी अवधि में ताजे पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83 प्रतिशत की कमी आई है।

- ★ 1960 से अब तक वैश्विक पारिस्थितिकीय पदचिह्न (footprint) में 190 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

- ★ वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्रभूमि की सीमा में 87 प्रतिशत की कमी हुई है।

सिकुड़ते वन क्षेत्र

- ★ वन क्षेत्र में ह्रास का मुख्य कारण मानव द्वारा दिनों–दिन बढ़ता वन संसाधनों का उपभोग है। ऊर्जा, भूमि और पानी की बढ़ती मांग के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जारी है। उपभोग संकेतक जैसे – पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint), इस समग्र संसाधन उपभोग की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि किस सीमा तक पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो चुका है।

- ★ पिछले पाँच दशकों में अमेजन वर्षावन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा (दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन) विलुप्त हो गया है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई भी लगातार जारी है, मुख्य रूप से सोयाबीन, ताड़ के वृक्ष और मवेशियों के चरागाह के रूप में इनका इस्तेमाल दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।

- ★ वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000 से 2014 के बीच दुनियाभर में 920,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गया, जो लगभग पाकिस्तान या फ्राँस और जर्मनी के आकार के बराबर क्षेत्र था।

क्षीण होते महासागर

- ★ दुनिया भर के सभी प्रमुख समुद्री परिवेशों में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, महासागरों के किनारों, सतही जल यहाँ तक की गहरे समुद्री हिस्सों तक इसकी मौजूदगी के साक्ष्य पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मारियाना ट्रेंच (Mariana Trench) भी शामिल है।

- ★ झीलों, नदियों और आर्द्रभूमि जैसे ताजे पानी के आवासीय क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में हैं। ये सभी आवासीय क्षेत्र रूपांतरण, विखंडन और विनाश सहित विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, प्रदूषण, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं।

- ★ जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण सबसे अधिक नुकसान कोरल रीफ को पहुँचा है।

पृष्ठभूमि

- मार्च, 2018 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई मंजूरी को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि परियोजना के नियमों और वर्गीकरण के अनुसार, इस परियोजना का आकलन तमिलनाडु के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority -SEIAA) द्वारा किया जाना चाहिये था न कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा।
- लेकिन संयोगवश, SEIAA ने परियोजना का आकलन करने से इनकार कर दिया तथा इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को संदर्भित कर दिया।
- हाल ही में NGT ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई इस परियोजना के पर्यावरणीय आकलन को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
- यह दूसरी बार है जब प्छव् का मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष पहुँचा इससे पहले NGT की चेन्नई खंडपीठ ने 2011 में दी गई पर्यावरण मंजूरी को इसलिये निलंबित कर दिया था क्योंकि यह परियोजना इडुक्की जिले के मथिकेत्तन शोला नेशनल पार्क के 5 किमी. के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और उस समय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के समक्ष मंजूरी के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया था। तब NGT ने परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के साथ पर्यावरण मंजूरी लेने का निर्देश दिया था।

INO क्या है?

भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला (INO) एक बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है।

इसका उद्देश्य न्यूट्रीनो नामक कणों का अध्ययन करना है। न्यूट्रीनो मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रुप से निर्माण होता है।

- INO की योजना न्यूट्रीनो भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोगों के लिये छात्रों को विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा प्रदान करने की है।
- INO परियोजना के लाभ
- INO परियोजना से वैज्ञानिक मानवशक्ति में वृद्धि होगी जिससे संपूर्ण देश को लाभ होगा।
- INO ने आवश्यकता के अनुसार अपनी डिजाइन व विकास के लिये अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इससे ऐसी पीढ़ी सामने आएगी जो देश को तकनीकी रुप से अधिक मजबूत बनाएगी।
- INO में प्रयुक्त संसूचकों (detectors) का चिकित्सीय प्रतिबिंबन जैसे क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है। इस तरह की परियोजना से विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ेगा व मानव जाति को लाभ होगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु–अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिये आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।
- अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

कोरिंग वन्य जीवन अभ्यारण्य

- यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह आंध्रप्रदेश में अवस्थित है।
- यहाँ मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में 94 प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की कुल 266 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

कच्चे तेल आयात हेतु नए नियम (India-Iran)

भारत और ईरान ने कच्चे तेल में अपना व्यापार जारी रखने के लिये नए नियम स्थापित किये हैं, भारत ने विवादित परमाणु कार्यक्रम के कारण फारस खाड़ी के देशों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अस्थायी छूट हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत और अन्य देशों से चार नवंबर तक ईरान से तेल आयात में कटौती कर उसे समाप्त करने या प्रतिबंधों का सामना करने के लिये तैयार रहने की बात कही थी।
- जहाज और कार्गो बीमा की कमी सऊदी अरब और इराक के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता ईरान से होने वाले आयात को नुकसान पहुँचाएगी।
- इस बाधा को दूर करने के लिये भारत के नौवहन मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनरों के माध्यम से द्वारा कच्चे तेल की खरीद के लिये सरकार द्वारा अनिवार्य एक महत्वपूर्ण शिपिंग नियम में संशोधन किया है।
- इस नियम के अनुसार लंदन स्थित वैश्विक बीमा समूह द्वारा विस्तारित एक बराबर देयता सीमा के साथ देश में क्रूड ऑयल लाने वाले ईरान के टैंकरों को कवर प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने दो ईरानी जहाज अंडरराइटर्स – किश पी एंड आई क्लब और क्यूआईटीए पी एंड आई क्लब के लिये फरवरी 2020 तक की अनुमति दी है।
- इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रतिबंध प्रभावित देश से तेल की आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी।
- इस नियम के मुताबिक भारत कच्चे खरीद के लिये ईरान का रूपए में भुगतान करेगा, जिसका ईरान भारत से माल आयात करने के लिये उपयोग करेगा।
- उल्लेखनीय है कि IOCL, MRPL, BPCL और HPCL समेत राज्य संचालित तेल रिफाइनरीज ने ईरान के साथ सालाना टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे, इससे पहले अमेरिका ने इसी वर्ष मई 2016 में ईरान के साथ पश्चिमी देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जाने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद आधे से अधिक रिफाइनरीज ने इन अनुबंधों को छोड़ दिया था।
- नए प्रतिबंधों के लागू होने के बाद FOB आधार पर ईरान के साथ अनुबंधित शेष मात्रा को लागत, बीमा और माल ढुलाई CIF आयात में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अतः इसके लिये जहाज मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि लागत, बीमा और फ्रेट (CIF) एक लागत आधार है जिसका अर्थ है कि, जहाज और बीमा की व्यवस्था विक्रेता करता है, जबकि बोर्ड पर निः शुल्क (FOB) एक व्यापार शब्द है जो इंगित करता है कि विक्रेता या खरीदार शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट होने वाले सामानों के लिये उत्तरदायी है या नहीं।
- भारतीय जहाजों को कार्गो समर्थन प्रदान करने के लिये डिजाइन की गई फ्लेगशिप नीति है जो थ्ठ आधार पर सभी सरकारी स्वामित्व वालीधनियंत्रित कार्गो की खरीद के लिये जरूरी है, जिसमें भारतीय खरीदार को शिपिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देना होगा।
- यह इस बात को भी इंगित करता है कि भारतीय रिफाइनरीज अधिक अमेरिकी तेल खरीदने की

- ❖ सुप्रीम कोर्ट ने मशाल खान और अयूब मसीह केस का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले 28 वर्षों में 62 अभियुक्तों को अदालत का फैसला आने से पहले ही मार दिया गया।

भीड़ तंत्र

- ❖ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पाकिस्तान सरकार के पास एक ऐसा मौका था जिसमें वह ईशनिंदा जैसे प्रतिगामी कानूनों की व्यवहार्यता पर बहस छेड़ सकती थी। परंतु, निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चरमपंथियों के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिये और एक चरमपंथी समूह के साथ समझौता कर लिया।
- ❖ इस समझौते के अनुसार, पाकिस्तान सरकार आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ समीक्षा याचिका के विरोध में कोई कदम नहीं उठाएगी। इसके अलावा, समझौते में सरकार ने यह भी वादा किया है कि आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ❖ सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार आखिर कब तक चरमपंथियों के दबाव में आकर नीतियों का निर्धारण करेगी? आसिया बीबी के मामले में पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा रक्तपात देख चुका है।
- ❖ साल 2011 में पंजाब के मुखर और धर्मनिरपेक्ष गवर्नर सलमान तासीर, जिन्होंने आसिया बीबी की रिहाई के लिये प्रचार किया था, की हत्या को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया था। तासीर की हत्या करने वाला मुमताज कघदरी एक मौलवी द्वारा दिये गए प्रवचन से प्रेरित हुआ था।
- ❖ तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री शाहबाज भट्टी की भी ईशनिंदा कानून में संशोधन हेतु आग्रह करने के बाद उसी वर्ष हत्या कर दी गई थी।
- ❖ ईशनिंदा कानून को लेकर पाकिस्तान को अब तक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि इस कानून को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला कानून माना जाता रहा है।

ईशनिंदा क्या है?

- ❖ इस कानून को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जान बूझकर पूजा करने की किसी वस्तु या किसी जगह को नुकसान या फिर किसी धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे दंड दिया जाएगा।
- ❖ इसके साथ ही अगर कोई बोलकर या लिखकर या कुछ दृष्यों से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है तो यह भी गैरकघनूनी माना गया था।
- ❖ इस कानून के तहत एक से 10 साल तक की सजा दी सकती थी जिसमें जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान था।
- ❖ वर्ष 1980 के आरंभ में पाकिस्तान की दंड संहिता में धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में बदलाव करते हुए कई धाराएँ जोड़ दी गईं।
- ❖ इन धाराओं को दो खंडों में विभाजित किया गया था– पहला खंड अहमदी विरोधी कानून और दूसरा खंड ईशनिंदा कानून से संबंधित था।
- ❖ ईशनिंदा कानून को कई किश्तों में बनाया गया और उसका विस्तार किया गया। वर्ष 1980 में एक धारा में जिक्र किया गया कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- ❖ दूसरी तरफ, वर्ष 1982 में एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्रकैद की सजा दी जाएगी। वर्ष 1986 में एक और दूसरी धारा जोड़ दी गई जिसमें यह कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा के लिये दंडित किया जाएगा तथा इस

- सेफ वॉटर नेटवर्क (SWN) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को लगभग 37 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिये 2.2 लाख छोटे जल उद्यमों पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है।
- इनमें से अधिकांश शहर के झुग्गी–झोपड़ियों वाले क्षेत्र (जहाँ पाइप का पानी उपलब्ध कराने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना मुश्किल है) और दूषित जल स्रोतों वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के उद्यमों को स्थापित करने में पाइप का पानी उपलब्ध कराने वाले ढाँचे का मात्र एक छोटा सा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, साथ ही नीति परिवर्तन और कम से कम दोगुनी टैरिफ की जरूरत होती है ताकि सुरक्षित जल अंतराल को कम करने में मदद मिल सके।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India -CAG) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण आबादी में से केवल 18 प्रतिशत लोगों की पहुँच पाइप द्वारा उपलब्ध पीने योग्य पानी तक है जिसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत लोगों को पीने का सुरक्षित पानी मुहैया कराने में हम विफल रहे हैं।

70 प्रतिशत पेयजल है दूषित

- पृथ्वी आयोग के अनुसार, जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार, देश का 70: जल दूषित हो चुका है।

क्या है वाटर एटीएम?

- बहुत से लोग जो RO (Reverse osmosis system) का खर्च वहन कर सकते हैं वे पानी को शुद्ध करने के लिये इसे खरीदते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिये त्व का खर्च वहन कर पाना संभव नहीं है। सामुदायिक शुद्धिकरण प्लांट स्थानीय स्तर पर जल शोधन का कार्य करते हैं। वाटर एटीएम, एक वितरण प्रणाली है जो सिक्का, स्मार्ट कार्ड या मैनुअल के माध्यम से संचालित हो सकता है। अनिवार्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वाटर एटीएम एक सामुदायिक RO है।

ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये मार्ग–निर्देश (Guidelines for OPERATION GREENS)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि देश भर में पूरे वर्ष मूल्यों में बिना उतार–चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018–19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

- 2018–19 के बजट में 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर किसान उत्पादक संगठनों, कृषि–रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की घोषणा की गई थी।
- इस योजना को सभी हितधारकों के साथ निरंतर वार्ता के बाद तैयार किया गया है। इसके तहत टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने के उपायों के बारे में निर्णय लिया गया है।
- इन उपायों का उद्देश्य देश भर में पूरे वर्ष के दौरान सभी परिवारों तक इन सब्जियों की पहुँच को सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के तहत विशेष उपाय करने के साथ–साथ अनुदान की रूपरेखा भी तैयार की गई है जिससे इन फसलों का उत्पादन बढ़े और एक मूल्य श्रृंखला कायम हो।

मंत्रालय द्वारा किये गए उपाय

(I) लघुकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय

- मूल्य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नैफेड शीर्ष एजेंसी होगी।

- इंडोनेशिया और अन्य द्वीपीय राष्ट्र सतत् मत्स्य पालन और समुद्री परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड बाजार को टैप करने में एक मॉडल के रूप में सेशल्स द्वारा जारी ब्लू बॉण्ड संरचना का उपयोग कर सकते हैं।
- ब्लू ग्रांट्स निधि के जरिये अनुदान भी दिया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।

बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग

- संरक्षित समुद्री क्षेत्रों का विस्तार करने के लिये।
- बेहतर मत्स्य पालन के लिये।
- सेशेल्स में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का विकास करने के लिये।

पृष्ठभूमि

आधिकारिक तौर पर इस बॉण्ड की शुरुआत 9 अक्तूबर, 2018 को की गई थी और 10 साल की अवधि वाले इस बॉण्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सामाजिक प्रभाव वाले निवेशकों– कैलवर्ट इंपैक्ट कैपिटल, नुवेन (nuveen) और प्रुडेंशियल को सीधे स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसने इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम किया, के माध्यम से बेचा गया।

सेशेल्स

- सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- यह कई समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों और प्राकृतिक भंडार के साथ–साथ दुर्लभ जानवरों जैसे कि विशाल अल्टबरा कछुओं का घर है।
- यह दुनिया के विशाल जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।
- यहाँ पर्यटन के बाद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग मत्स्य पालन है।

ढोकरा शिल्प कला (Dhokra sculptures)

- ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। बस्तर जिले के कोंडागाँव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं जिसमें पुरानी मोम–कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके मूर्तियाँ बनाईं जाती हैं।

ढोकरा शिल्पकारों की समस्या

- ढोकरा कारीगरों के अनुसार, वर्तमान में इन कारीगरों की सबसे बड़ी समस्या है– जीएसटी। नई टैक्स प्रणाली का पालन कर पाना मुश्किल है और इसके कारण इनके द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री लगभग आधी हो गई है।
- वर्तमान बाजार में इस कला के पारंपरिक स्वरुप बदल गया है। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम जो कि इस कला की प्राथमिक आवश्यकता थी, अब उसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इतनी महँगी हो चुकी है कि इसे खरीदना आसान नहीं है।
- पारंपरिक पशु मूर्तियों– घोड़े, हाथी, ऊँट और ऐसी ही अन्य मूर्तियाँ– धीरे–धीरे पेपरवेट्स, पेन होल्डर, मोमबत्ती होल्डर जैसी अधिक कार्यात्मक चीजों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ विभिन्न कलाओं व संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सभी प्रकार की कलाएँ किसी–न–किसी रूप में इतिहास से जुडकर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ढोकरा कला भी इन्हीं कलाओं में से एक है। इस कला का दूसरा नाम घढ़वा कला भी है। यह कला प्राचीन होने के साथ–साथ असाधारण भी है।

- इस कला में तांबा, जस्ता व रांगा (टीन) आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, व रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत 165 वोट प्राप्त करके एशिया–आस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से परिषद के लिये चुने गए 13 देशों में तीसरे स्थान पर रहा और वैश्विक रूप से परिषद के लिये चुने गए 48 देशों में इसका स्थान 8वाँ रहा।
- ITU के 193 सदस्य देश, परिषद में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- इसकी स्थापना 17 मई, 1865 को पेरिस में हुई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union-ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शीर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- विश्व के 193 देश 'अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ' के सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

प्रमुख कार्य

- सुचारु सेवा के साथ–साथ दूरसंचार की यथासंभव न्यूनतम दरें बनाए रखने की कोशिश करना।
- दूरसंचार संघ के आर्थिक प्रशासन को स्वतंत्र एवं सुस्पष्ट आधार प्रदान करना।
- यह संचार और दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का नियमन करती है।
- रेडियो आवृत्तियों को निश्चित करना तथा निर्दिष्ट रेडियो आवृत्तियों का आलेखन करना।
- दूरसंचार के दौरान जीवन को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे, इस दृष्टि से विभिन्न उपाय खोजना तथा उन उपायों को लागू करने के उपरांत उनका विस्तार करना।
- दूरसंचार प्रणाली संबंधी विभिन्न अध्ययन करके उपयुक्त सिफारिशें करना तथा इससे संबंधित विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करके प्रकाशित करना, ताकि सदस्य देश उक्त सूचनाओं से लाभ उठा सकें।